



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

19 आश्विन, 1944 (श०)

संख्या - 503 राँची, मंगलवार, 11 अक्टूबर, 2022 (ई०)

नगर विकास एवं आवास विभाग

संकल्प

7 अक्टूबर, 2022

विषय:- केन्द्र प्रायोजित प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तृतीय घटक “भागीदारी में किफायती आवास” (AHP) अंतर्गत राँची के नगड़ी ब्लॉक अंतर्गत मुड़मा मौजा में कुष्ठ रोगियों के लिए कुल 256 आवासों के निर्माण के लिए स्वीकृत परियोजना हेतु तकनीकी अनुमोदन प्राप्त प्राक्कलित राशि कुल रु० 33,11,25,600/- (तैंतीस करोड़ ग्यारह लाख पचीस हजार छः सौ रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

ज्ञापांक:-08/न०प्र०नि०/PMAY-U/AHP/Ani-Leprosy/05/2022/3507—आवास विहीन शहरी गरीबों को आवास उपलब्ध कराने की संवैधानिक दायित्व नगर विकास एवं आवास विभाग की है। उक्त के आलोक में केन्द्र प्रायोजित प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तृतीय घटक “भागीदारी में किफायती आवास” (Affordable Housing in Partnership-AHP) अंतर्गत राँची के इन्दिरा नगर

कुष्ठाश्रम, तपोवन कुष्ठाश्रम एवं निर्मला कुष्ठाश्रम में वासित कुल 256 कुष्ठ रोगियों के जीवन स्तर में उन्नयन हेतु उनके आवासन के लिए नगर निगम राँची के मुड़मा मौजा में कुल 256 (G+1) (आधारभूत संरचनाओं सहित) आवासों का निर्माण कराया जाना है।

2. योजना के क्रियान्वयन हेतु निर्गत विभागीय संकल्प संख्या-5382 दिनांक-02.11.2018 के आलोक में उपरोक्त परियोजना का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) सर्वश्री जुडको लि0 द्वारा तैयार कराया गया है, जिसपर मुख्य अभियंता, तकनीकी कोषांग, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा कुल राशि रु० 33,11,25,600/- (तीस करोड़ ग्यारह लाख पचीस हजार छह सौ रुपये) मात्र पर तकनीकी अनुमोदन प्रदान किया गया है।
3. विभागीय संकल्प संख्या-5382 दिनांक-02.11.2018 के आलोक में योजनान्तर्गत परियोजना राशि का वहन केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं लाभुक द्वारा निम्नवत् किया जाता है:
 - i. केन्द्रांश (प्रति आवास) - रु० 1.50 लाख
 - ii. राज्यांश (प्रति आवास) - रु० 1.00 लाख
 - iii. लाभुक अंशदान (प्रति आवास) - केन्द्रांश एवं राज्यांश के बाद प्रति आवास परियोजना राशि का शेष भाग।

प्रासंगिक परियोजना अंतर्गत आवासों का निर्माण कुष्ठ रोगियों के लिए किया जाएगा। कुष्ठ रोगियों की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति के मद्देनजर प्रासंगिक आवासीय परियोजना के लाभुकों से लाभुक अंशदान नहीं लिया जायेगा। अतः विभागीय संकल्प संख्या-5382 दिनांक-02.11.2018 के आलोक में राज्य अंशदान (रु० 1.00 लाख प्रति आवास) के साथ-साथ लाभुक अंशदान का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

4. उपरोक्त कंडिका-3 के आलोक में योजना के क्रियान्वयन हेतु परियोजना का वित्तीय वहन निम्नवत् किया जायेगा:-

ULBs Name	Project Location	Approved EWS Units	Total Project Cost	Central Share	State Share	Beneficiary Share
Ranchi	Murma	256	3311.25	384.00	2927.25	00.00

5. प्रासंगिक परियोजना की तकनीकी अनुमोदन निम्न अवयवों के साथ प्राप्त है:-

S. No.	Particulars	Total Amount (In Rs.)
Leprosy Colony at Murma (256 DUs) (G+1)		
1.	Civil Work	2,33,12,657.00
2.	Plumbing	23,27,785.00
3.	Fire Fighting	5,17,339.89
4.	Electrical	26,62,677.00
Cost (1 Block)		2,88,20,458.89
Per Flat Cost		9,00,639.34
Total Cost 8 Block		23,05,63,671.14
Civil Work		
5.	Site Development	3,81,07,056.00
6.	Boundary Wall	1,35,866.89

Electrical Work		
7.	External	1,08,86,774.30
Site Development Work		
8.	External Drainage, Sewerage, Water Supply, Irrigation, Tube Well	28,08,636.38
9.	Rain Water Harvesting Pit	8,73,357.65
A	Total	28,33,75,362.36
B	GST @ 12%	3,40,05,043.48
A+B	Total including GST	31,73,80,405.85
C	Labour Cess @ 1%	31,73,804.06
A + B + C	Total (GST + Labour Cess)	32,05,54,209.90
D	JUIDCO Centage @3% upto 100 Cr.	95,21,412.18
E	DPR Fees	10,50,000.00
Grand Total (A +B + C + D + E)		33,11,25,622.08
Say Rs.		33,11,25,600.00

- उक्त योजना अठारह माह (18 माह) में पूरी की जायेगी।
- तकनीकी स्वीकृत DPR पर निकाय की सहमति तथा लाभुकों की सहमति संबंधित प्रतिवेदन राँची नगर निगम से प्राप्त होने के उपरान्त ही आवासों का निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाएगा।
- योजना का क्रियान्वयन सर्वश्री JUIDCO Ltd. द्वारा आमंत्रित खुली एवं पारदर्शी निविदा के माध्यम से संवेदक का चयन कर किया जाएगा।
- प्रासंगिक परियोजना के निर्माण हेतु चयनित संवेदक, जुडको लि. एवं राँची नगर निगम के मध्य त्रिपक्षीय एकरारनामा हस्ताक्षरित किया जायेगा।
- प्रासंगिक परियोजना का निर्माण कार्य परियोजना का Building Plan Approval एवं JHARERA में निबंधन के पश्चात् प्रारम्भ किया जायेगा।
- उपरोक्त कंडिका में अंकित योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु राज्यांश एवं केन्द्रांश की राशि का आवंटन वित्तीय वर्ष 2022-23 एवं उत्तरोत्तर वर्षों में निम्नांकित बजट शीर्ष से किया जायेगा:-

केन्द्रांश	राज्यांश
मुख्यशीर्ष-2217-शहरी विकास-उप मुख्य शीर्ष-80- मान्य-लघु शीर्ष-796 जन जातीय क्षेत्र उपयोजना-उपशीर्ष-89 प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) (पी.एम.ए.वाई.) हेतु अनुदान (केन्द्रांश)- 01-विस्तृतशीर्ष06 अनुदान-79-सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन)-48C22178079689010679	मुख्यशीर्ष-2217-शहरी विकास-उप मुख्य शीर्ष-80- सामान्य-लघु शीर्ष-796 जन जातीय क्षेत्र उपयोजना-उपशीर्ष-89 प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) (पी. एम. ए.वाई.) हेतु अनुदान (राज्यांश) -01-विस्तृत शीर्ष06 अनुदान-79-सहायता अनुदान सामान्य (गैर- वेतन)-48S22178079689010679

- नगर विकास एवं आवास विभाग के संकल्प ज्ञापांक संख्या-1482 दिनांक-19.06.2019 के आलोक में सर्वश्री JUIDCO Ltd. को Centage Charge देय होगी। जुडको लि. को देय Centage Charge एवं योजना के DPRs एवं PMC हेतु परामर्शियों को भुगतये परामर्शी शुल्क का भुगतान राज्य योजना मद के "शहरी योजना एवं परियोजना प्रबंधन हेतु सहाय्य अनुदान" मद में उपबंधित राशि से किया जाएगा।

13. योजना के क्रियान्वयन हेतु जुड़को लि० के द्वारा चयनित संवेदक के विपत्रों का भुगतान Integration PFMS (Public Finance Management System) से किया जायेगा ।
14. योजना का क्रियान्वयन भारत सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देश, प्रासंगिक विभागीय संकल्प, विभागीय अधिसूचना, मुख्य सचिव, झारखण्ड की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं अनुश्रवण समिति (SLSMC) एवं नगरीय प्रशासन निदेशालय द्वारा समय-समय पर जारी मार्गदर्शिका के आलोक में किया जाएगा ।
15. उक्त के आलोक में केन्द्र प्रायोजित प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तृतीय घटक 'भागीदारी में किफायती आवास' (AHP) अंतर्गत राँची नगर निगमके आनि मौजा में कुष्ठ रोगियों के लिए कुल 256 आवासों के निर्माण के लिए स्वीकृत परियोजना हेतु तकनीकी अनुमोदन प्राप्त प्राक्कलित राशि कुल रु० 33,11,25,600/- (तीस करोड़ ग्यारह लाख पचीस हजार छः सौ रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है ।
16. प्रासंगिक परियोजना पर दिनांक-01.02.2022 को मुख्य सचिव, झारखण्ड की अध्यक्षता में सम्पन्न राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं अनुश्रवण समिति (SLSMC) की बैठक में अनुमोदन प्राप्त है।
17. भारत सरकार की केन्द्रीय स्वीकृति एवं अनुश्रवण समिति (CSMC) की दिनांक-23.03.2022 को सम्पन्न 59वीं बैठक में प्रासंगिक परियोजना की स्वीकृति प्रदान की गई है ।
18. उक्त परियोजना पर दिनांक-29.09.2022 को सम्पन्न राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में मद संख्या-27 के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

विनय कुमार चौबे,
सरकार के सचिव ।
